न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 25 / 2002
आरसीएमएस नं. :– 2002 / 00018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार / राजस्व / तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
––अपीलार्थी

बनाम

1. रावताराम
2. महावीर
3. दलीप
4. सत्यपाल

पि0 मूलाराम उर्फ हरीकिशन जाति सुथार निवासी भोजासर तहसील भादरा

5. अरिया उर्फ आदराम पुत्र जीवाराम जाति सुथार निवासी भोजासर तहसील भादरा–फौत (आदेश दिनांक 22.09.2022 से नाम तर्क किया गया)

–– रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 15.12.2001 प्र0 सं0 187 / 93
अनुक्रम मूला आदि बनाम आदिया आदि

उपस्थितिः–
श्री राजेश कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 10.XI.22

1. यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक एवं उचित है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा चक 1 बीएचडी के मु. नं. 9 के किला नं. 10 की 2 बिस्वा किला नं. 13, 14 की 2 किला, किला नं. 15 की 18 बिस्वा किला नं. 18 की 1 किला कुल 4 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
3. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता उपस्थित नहीं इसलिए अपीलाण्ट के विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेण्ट वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वाद पत्र में कथन किया कि रोही मौजा भोजासर में खसरा की भूमि रेस्पोडेण्ट वादी 1 ता 4 एवं रेस्पेडेण्ट प्रतिवादी सं0 5 के दादा के समय से ही कब्जा काश्त में थी। कोलोनाईजेशन एक्ट लागू होने से काश्तकारी के कब्जा के अनुसार पुख्ता आवंटन हेतु रेस्पोडेण्ट वादी 1 ता 4 के पिता हरीकिशन व रेस्पो0 सं0 5 के पिता की के नाम बड़ा भाई होने के नाते 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि आवंटन कर दी गई। इसके बाद कमीपूर्ति में चार चार बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र दिया जिसकी रिपोर्ट में तहसीलदार ने सिफारिश की जिस पर डीसीसी हनुमानगढ द्वारा 14.09.1959 को पुख्ता आवंटन की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 5 भूमि पर काबिज हो गया इसलिए उसके नाम से 15 बीघा गैरखातेदार भूमि दर्ज है परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 को कमी पूर्ति का कब्जा नहीं मिला व तबादला में चक 1 बीएचडी की प्रश्नगत 4 बीघा भूमि आवंटन हुई परन्तु सहवन से उक्त भूमि रेस्पो0 सं0 4/प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 07.08.1990 को कर दिया परन्तु भूमि अब भी रिकार्ड में आराजी राज दर्ज है जो रेस्पो0 सं0 1 ता 4 के कब्जा काश्त में है उसकी समस्त किश्तें जमा करवा दी है इसलिए उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने इकबालदावा पेश किया एवं अपीलाण्ट ने जवाबदावा पेश किया जिसे पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 प्रश्नगत भूमि का खातेदार घोषित किया।

5. यह आदेश उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत मनमाना एवं विधि के आज्ञापक सिद्धान्तों के विपरीत है। विवादित भूमि चक 1 बीएचडी तादादी 4 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजी राज दर्ज है, जिसके खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। यह भूमि कभी भी आवंटन नहीं की गई व ना ही पत्रावली पर कोई आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायलाय ने केवल कयास के आधार पर यह आवंटन किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के पिता को 13 बीघा भूमि आवंटन की गई थी जो उसके बाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। विवादित 4 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के पिता को आवंटन होनी मानी परन्तुं उक्त भूमि कभी भी आवंटन नहीं की गई। विवादित भूमि उपनिवेशन क्षेत्र की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा चक 1 बीएचडी के मु. नं. 9 के किला नं. 10 की 2 बिस्वा किला नं. 13, 14 की 2 किला, किला नं. 15 की 18 बिस्वा किला नं. 18 की 1 किला कुल 4 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में कुल दो तनकीयात कायम की हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि आराजी दर्ज है। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही हुआ है जिससे यह साबित हो कि प्रश्गनत भूमि पूर्व में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 को आवंटन हुई थी। रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के पिता को 13 बीघा भूमि आवंटन की गई है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। विवादित 4 बीघा भूमि रेस्पो0 सं0 5 के पिता को आवंटन होनी मानी परन्तु उक्त आवंटन का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी तनकी का तनकीवाईज विवेचन नहीं किया है, केवल मात्र तनकीयात का विवरण पेश किया है। कोनसी तनकी किस आधार पर किसके पक्ष में निर्णित की गई है आदि का विवेचन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवाईज विवेचन पर पुनः विधि सममत निर्णय पारित करे।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2001 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 10.XI.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.XI.22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़